रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1975 (श्रावण 25, 1897)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1975 (SRAVANA 25, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 23 जुलाई 1975 तक प्रकाशित किए गए है—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 23rd July 1975:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
137.	सं० 31-ई०टी०सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 15 जुलाई, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अभ्रक की विभिन्न किस्मो, वर्गों और स्वरूपो के जहाज तक नि:शुल्क मूल्य जहाज पर नि:शुल्क कीमत को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूची और उनके के निर्यात के लिए लागू अन्य शर्तें।
	No 31-ETC(PN)/75, dated the 15th July 1975	Ministry of Commerce	Price Schedules showing F.A.S./F.O.B. prices of different varieties, grades and quantities of mica and other conditions applicable to their export
138.	सं० 66-आई० टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 16 जुलाई 1975	—तदैव—	अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातको के लिए आयात नीति (शुद्ध संशोधन)
	No. 66-ITC/(PN)/75, dated the 16th July 1975	—Do.—	Import Policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976 (Errata/Amendment)
139.	सं० 67-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनाक 16 जुलाई 1975	—तदैव—	वास्तविक उपभोक्ताओ द्वारा कच्चे माल एव सघटको का आयात करने के लिए आटोमैटिक लाइसेस प्रदान करना—लाइसेस अवधि 1975-76 के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि में वृद्धि।
	No. 67-ITC/(PN)/75, dated the 16th July 1975	—Do -	Grant of automatic licences for import of raw materials and components by actual users—Extension of last date for submission of applications for the licensing period 1975-76

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
	सं० 68आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 16 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975–मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति ।
	No. 68-ITC(PN)/75, dated the 16th July 1975	Ministry of commerce	Import Policy for the year April 1975—March 1976.
	सं० 69-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 16 जुलाई 1975	—तदैव—	सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों के पास रिहाई आदेशों का पंजीकरण ।
	No. 69-ITC(PN)/75, dated the 16th July 1975	—Do.—	Registration of release orders with the canalising agencies.
140	सं० एफ० 4(2)/डब्ल्यू० एण्ड एम०/75, दिनांक 17 जुलाई 1975	वित्त मंत्रालय	26 जुलाई 1975 से ऋण के रकम लेने की तारीख शुरू की जायगी ।
	No. F.4(2)-W&M/75, dated the 17th July 1975	Ministry of Finance	26th July 1975 is date for the Subscriptions for Loans.
141.	सं० 70-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 17 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975—मार्च 1976 लाइसेंस अवधि के लघु पैमाने एककों से भिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा जंगावरोधी इस्पात/शीटस/प्लेटस/स्ट्रिप्स का आयात ।
	No. 70-ITC(PN)/75, dated the 17th July 1975	Ministry of Commerce.	Import of stainless steel sheets/plates/strips by actual users other than small scale units for the licensing period April 1975—March 1976.
142.	सं० एफ० 2(II)-एन० एस०/75, दिनांक 19 जुलाई 1975	वित्त मंत्रालय	डाक घर बचत बैंक द्वा के लिए एक समिति का गठन ।
	F.2(II)-NS/75, dated the 19th July 1975	Ministry of Finance	A Committee constituted to supervise the post office Savings Bank draw.
143.	सं० 71-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 21 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक (हैंड बुक) 1975–76
	No. 71-ITC(PN)/75, dated the 21st July 1975	Ministry of Commerce	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76
144.	सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-56/75, दिनांक 22 जुलाई 1975	वित्त मंत्रालय/	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन ।
	No. Drawback/PN-56/75, dated the 22nd July 1975	Ministry of Finance	Amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October 1971.
	सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-57/75, दिनांक 22 जुलाई 1975	वित्त मंत्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन ।
	No. Drawback/PN-57/75, dated the 22nd July 1975	—Do.—	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October 1971.
145.	सं० 72-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 23 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975—मार्च 1976 की अवधि के दौरान फोटोग्राफिक स्टुडियो/व्यवसायिक फोटोग्राफरों द्वारा दुहरे लेंस वाले रिफलेक्स कैमरों और फोटोग्राफरों के उपस्करो का आयात ।
	No. 72-ITC(PN)/75, dated the 23rd July 1975	Ministry of Commerce	Import of twin lens reflex cameras and Photographic instruments by photograhpic studios / professional photograhpers during April 1975—March 1976 period.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	617
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1265
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1051
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2225
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3025
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	425
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6787
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	535
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	13
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1559
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	141

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	617
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1265
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1051
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2225
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3025
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	425
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Officers of the Government of India ..	6787
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	535
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	13
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1559
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	141

भाग I—खंड 1

PART I--SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1975

सं० 88-प्रेज/75—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चितरंजन मुखर्जी,
पुलिस निरीक्षक,
हुगली,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 जुलाई, 1974 को श्री चितरंजन मुखर्जी को सूचना मिली कि कुछ कुख्यात उग्रपंथी पुलिस स्टेशन मोगरा के पास बंदेल थरमल पावर स्टेशन, में विध्वंसकारी कार्य करने के लिए एकत्र होंगे । पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा और उन्होंने एक कामचलाऊ खन्दक में मोर्चा सम्भाला । श्री चितरंजन मुखर्जी पुलिस दल के एक सदस्य थे । रात को लगभग सवा आठ बजे एक नौका से 6 व्यक्ति फांसीताला घाट पर उतरे । जब वे घात के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें ललकारा गया । इस पर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया और कुछ बम भी फेंके । पुलिस ने जवाब में गोली चलाई । श्री मुखर्जी तथा श्री कमल कुमार चटर्जी ने अपने शरीर पर घाव हो जाने पर भी उग्रपंथियों को खूब हताहत किया । कुछ उग्रपंथी भाग गए परन्तु पीछा करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कुख्यात उग्रपंथियों की तीन लाशें मिली और साथ ही दो पाइप गन तथा भारी मात्रा में गोलाबारूद भी बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री चितरंजन मुखर्जी ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और उग्रपंथियों के बुरे इरादों को कामयाब नहीं होने दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 89-प्रेज/75—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कमल कुमार चटर्जी ,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
हुगली,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 जुलाई, 1974 को पुलिस निरीक्षक चितरंजन मुखर्जी को एक सूचना मिली कि कुछ उग्रपंथी बंदेल थरमल पावर स्टेशन पुलिस स्टेशन मोगरा के पास विध्वंसकारी कार्य करने के लिए एकत्र होंगे । पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा और उन्होंने एक काम चलाऊ खन्दक में मोर्चा सम्भाला । श्री कमल कुमार चटर्जी पुलिस दल के एक सदस्य थे । रात को लगभग 8.15 बजे नौका से 6 व्यक्ति फांसीताला घाट पर पहुंचे । जब वे घात स्थान पर पहुंचे तो उन्हें ललकारा गया । इस पर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया और कुछ बम भी फैंके । पुलिस ने जवाब में गोली चलाई । श्री चटर्जी तथा निरीक्षक मुखर्जी ने घावों के बावजूद उग्रपंथियो को भारी संख्या में हताहत किया । कुछ उग्रपंथी भाग गए परन्तु पीछा करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया । बाद में मुठभेड़ वाले क्षेत्र की तलाशी लेने पर कुख्यात उग्रपंथियों की तीन लाशें बरामद हुई । दो पाइप गन तथा बड़ी मात्रा में गोलाबारूद भी बरामद किया गया ।

उग्रपंथियों के साथ हुई मुठभेड़ में श्री कमल कुमार चटर्जी ने अनुकरणीय साहस तथा महान कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 90-प्रेज/75—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रामयश सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
फतवहा,
जिला पटना (बिहार) ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15 जून, 1972 को गांव छोटी हसनपुर में अपराधियों के एक गिरोह के एकत्र होने के बारे में सूचना मिली । जिनका इरादा गांव में डकैती डालना था । डाकुओं को रोकने के लिए एक पुलिस दल भेजा गया । जब डाकुओं को पुलिस की उपस्थिति का पता चल गया तो उन्होंने पुलिस पर अन्धाधुन्ध गोली चलानी शुरू कर दी । किन्तु इससे पुलिस दल का उत्साह कम नहीं हुआ और वे अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे । उप निरीक्षक रामयश सिंह के शरीर में सत्तर छर्रे होते हुए भी वे अपने मोर्चे पर डटे रहे और संक्रिया का नेतृत्व करते रहे । मुठभेड़ में एक डाकू गोली से घायल हो गया और अन्य 6 गिरफ्तार कर लिए गए । उनसे एक दोनाली बन्दूक और एक देशी बन्दूक बरामद हुई ।

कुख्यात डाकुओं का सामना करने में श्री रामयश सिंह ने उत्कृष्ट वीरता एवं उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जून, 1972 से दिया जाएगा ।

सं० 91-प्रेज/75—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोनी मोहन चक्रवर्ती,
पुलिस अवर निरीक्षक, (स्थानापन्न)
हुगली,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12 सितम्बर, 1973 की शाम को श्री मोनी मोहन चक्रवर्ती पुलिस अवर निरीक्षक को खबर मिली कि थाने लगभग 500 गज की दूरी पर एक दूकान पर बेधड़क होकर डाका डाला गया । खबर मिलते ही वे सन्तरी से भरी हुई राइफल लेकर एक जीप में तुरन्त घटना स्थल की ओर बढ़े और सन्तरी से कहा कि थाने के कार्यप्रभारी अधिकारी को डकैती की सूचना दे दें ।

डकैती डालने तथा गोविन्दा गोपाल साधुखान को गोली से मारने के बाद डाकुओं ने एक कार में बच निकलने का प्रयास किया । किन्तु कार सामने की ओर से एक खड़े ट्रक से टकरा चुकी थी । जब डाकू कार की खराबी देखने के लिए बाहर आए तो वे अवर निरीक्षक को पीछे देख कर एकदम हैरान हो गए । उन्होंने कार को छोड़ दिया और बच निकलने का प्रयास किया । श्री चक्रवर्ती ने अपनी जान को भारी खतरे में डाल उनका तेजी से पीछा किया । अवर निरीक्षक ने अकेले ही कोई आधे दर्जन हथियारबन्द व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गोलीबारी में उलझाये रखा । तब डाकुओं ने गोलीबारी की आड़ में पानी से भरे धान के खेतों में होकर वापस जाने की कोशिश की । उनकी योजना को भांपकर अवर निरीक्षक यह सोच एक भिन्न रास्ते से रेलवे लाइन की ओर वापिस लौटे, कि डाकू बचकर भागने के लिए उस स्थान से गुजरेंगे । जैसे कि आशा थी, डाकू वहां दिखाई दिए और गोलीबारी फिर शुरु हो गई और इस बीच अवर निरीक्षक के साथ उसके कुछ साथी वहां आ मिले । डाकुओं को रात्रि में बचकर भागने नहीं दिया गया । सुबह को जब खोज की गई तो पांच डाकुओं को जो खेतों में छिपे थे, गिरफ्तार कर लिया गया । एक स्टेनगन तथा एक सर्विस रिवाल्वर सहित एक सन्दूक भी बरामद किया गया जिसमें 28,000.00 रुपये के मूल्य के सोने के जेवरात थे ।

इस मुठभेड में श्री मोनी मोहन चक्रवर्ती ने उत्कृष्ट वीरता, सूझबूझ एवं उच्च-कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 सितम्बर, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 92-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सतबीर सिंह,
कांस्टेबल सं० 69034425,
34वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

मार्च, 1974 में श्री सतबीर सिंह विरोधियों को दबाने के कार्यों के लिए नागालैण्ड के मोकोकचुंग जिले में तैनात केन्द्रीय आरक्षित दल की एक कम्पनी के सदस्य थे । 14 मार्च, 1974 को जब केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल का एक छोटा दस्ता पानी वाले स्थान की ओर जा रहा था जो उनके शिविर के बहुत नजदीक था, तो उस पर ऊंची जगह से गोलियों की बौछार की गई । एकाएक गोलीबारी से हैरान होकर पुलिस कर्मचारी शिविर की परिधि की ओर आड़ लेने के लिए दौड़े । जब एक कांस्टेबल शिविर की परिधि की दीवार से लगभग 6-7 गज की दूरी पर था तो उसे एक गोली लगी जो उसके पेट से जा निकली और वह नीचे गिर पड़ा । जब श्री सतबीर सिंह ने जो शिविर की परिधि की दीवार के पीछे आड़ ले चुके थे और विरोधियों पर गोली चला रहे थे, अपने साथी को गिरते देखा, तो वह आड़ से बाहर कूदे और गोलीबारी की बिल्कुल परवाह न करते हुए उसकी सहायता के लिए दौड़े । उसे दीवार के पास ले आए और उठाकर परिधि की दीवार को पार कराके अन्दर प्रतीक्षा कर रहे अपने साथियों के हाथों में थमा दिया । श्री सतबीर सिंह की वीरता के कारण ही घायल कांस्टेबल की जान बच सकी ।

इस मुठभेड़ में श्री सतबीर सिंह ने उत्कृष्ट वीरता और अदम्य साहस दिखाया और अपने दल की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुकूल असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 1974 से दिया जाएगा ।

कृ० बालचन्द्रन्, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

(राज भाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 1975

संकल्प

सं० 1/20014/7/75-रा० भा० (क-2)—भारत सरकार ने समय समय पर यथासंशोधित गृह मंत्रालय के 9 अगस्त, 1972 के संकल्प संख्या 8/6/71-हिं-2 के अधीन पुनर्गठित गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 9 अगस्त, 1975 से छः महीनों के लिए बढ़ाने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व का महालेखाकार, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

ब्रह्मदेव शर्मा, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1975

संकल्प

सं० 3/2/73-एफटीजेड—यह विनिश्चय किया गया है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1973 के समसंख्यक संकल्प में, जिसमें भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित समसंख्यक संकल्प दिनांक 30 अक्तूबर, 1974 द्वारा आशोधन किया गया था, गठन में निम्नोक्त परिवर्तन किया जाए :—

सदस्य

1. संयुक्त सचिव/निदेशक कार्य प्रभारी,
   कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रकोष्ठ,
   वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

2. विकास आयुक्त, कांडला
   निर्बाध व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम (कच्छ) ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाये ।

जी० सुन्दरम, उप-सचिव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1975

संकल्प

सं० आई० एस० 23011/(8)/75-एफ० एस० पी०—भारत सरकार ने यह तय किया है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के तारीख 22 अप्रैल, 1975 की संकल्प सं० आई० एस० 23011/8/75 एफ० एस० पी० के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों की वितरण पद्धति के लिए गठित समिति जिसने 30 जून, 1975 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, अब 31 दिसम्बर, 1975 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह सर्व साधारत की सूचना के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

सी० वेंकटरमणी, संयुक्त सचिव

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1975

आदेश

विषय —बेसिन, तारापुर, दक्षिण तथा उत्तर ताप्ती के लिए पी० ई० एल-त्याग करने के सम्बन्ध में ।

सं० आई० एस० 12012/7/73-एल० एण्ड एल०—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस के प्रथम वर्ष की समाप्ति की तिथि से बेसिन, तारापुर, दक्षिण तथा उत्तर ताप्ती के लिए 5,708 वर्ग कि० मी० के अपतटीय क्षेत्र के पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पर्यवसान को केन्द्रीय सरकार सहर्ष स्वीकार करती है ।

टी० पी० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1975

सं० एस० एस० आई० (1) 17(6)/74—भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प सं० एस० एस० आई० (1)-17(6)/74 दिनांक 18 जुलाई, जिसे 29 अक्तूबर, 1974 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, में बोर्ड के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाये :—

के स्थान पर	पढ़िए
क्रम सं० 61	**क्र० सं० 61**
श्री के० पी० परमेश्वरन्,	श्री सी० वी० कुप्पूस्वामी,
निदेशक,	निदेशक,
विकास आयुक्त (लघु उद्योग)	विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
नई दिल्ली ।	नई दिल्ली ।

पी० के० एस० अय्यर, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1975

संकल्प

सं० 3-7/75-एफ-2—कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अधीन वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1965 की अवधि में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत परियोजना के रूप में की गई थी। 1968 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में यह संगठन भारत सरकार की परियोजना के रूप में कार्य करता रहा है। संगठन के आयोजन, निर्देशन तथा समन्वय संबंधी समस्त कार्यों के लिये 1970 में कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें कृषि विभाग, असोशिएटेड, फाइनेन्स, योजना औद्योगिक विकास तथा सिविल विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, महावनपाल लुगदी, कागज तथा सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद्, वुड पैनल उद्योग विकास परिषद् तथा आरा मिल उद्योग विकास परिषद् के प्रतिनिधि मौजूद थे।

8 जून, 1975 को हुई इस समन्वय समिति की बैठक में इस बात पर विचार किया गया था कि इस समिति को जारी रखा जाए या नहीं। बैठक में आम राय यह थी कि पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में निवेशपूर्व सर्वेक्षण के विस्तार कार्यक्रमों के कार्यकलापों का देश भर में विस्तार हो जाएगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय समन्वय समिति को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय यह सिफारिश की गई कि कम सदस्यों की 4 क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण विषयक 4 क्षेत्रीय समन्वय समितियों की स्थापना करने का निर्णय किया है।

2. प्रत्येक क्षेत्रीय समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :

अध्यक्ष

(चारों क्षेत्रीय समितियों के लिये)

वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव

सदस्य

क्षेत्रीय समन्वय समिति—केन्द्रीय क्षेत्र

1. महा वन पाल, महाराष्ट्र
2. महा वन पाल, मध्य प्रदेश
3. महा वन पाल, उड़ीसा
4. महा वन पाल, गुजरात
5. क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के राज्य उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि।
6. मुख्य समन्वयक, वन संसाधन, निवेशपूर्व, सर्वेक्षण।
7. अवर सचिव (वानिकी) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय—**सदस्य सचिव।**

क्षेत्रीय समन्वय समिति—उत्तरी क्षेत्र

1. महा वन पाल, हिमाचल प्रदेश
2. महा वन पाल, उत्तर प्रदेश
3. महा वन पाल, जम्मू तथा काश्मीर
4. महा वन पाल, राजस्थान
5. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के राज्य उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि।
6. मुख्य समन्वयक, वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण।
7. अवर सचिव (वानिकी) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय—**सदस्य-सचिव।**

क्षेत्रीय समन्वय समिति—पूर्वी क्षेत्र

1. महा वन पाल, बिहार
2. महा वन पाल, पश्चिम बंगाल
3. महा वन पाल, मेघालय
4. महा वन पाल, असम
5. महा वन पाल, त्रिपुरा
6. महा वन पाल, अरूणाचल प्रदेश
7. महा वन पाल, मणिपुर
8. महा वन पाल, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह
9. महा वन पाल, मिजोरम
10. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के राज्य उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि।
11. मुख्य समन्वयक, वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण
12. अवर सचिव (वानिकी) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय—**सदस्य-सचिव।**

क्षेत्रीय समन्वय समिति—दक्षिणी क्षेत्र

1. महा वन पाल, आन्ध्र प्रदेश
2. महा वन पाल, कर्नाटक
3. महा वन पाल, तमिल नाडु
4. महा वन पाल, केरल
5. क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के राज्य उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि।
6. मुख्य समन्वयक, वन संसाधन निवेशपूर्व सर्वेक्षण।
7. अवर सचिव (वानिकी) कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय—**सदस्य-सचिव।**

3. क्षेत्रीय समन्वय समितियों के कार्यकलाप—प्रत्येक क्षेत्रीय समन्वय समिति के कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे :—

1. विभिन्न क्षेत्रों में शामिल प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के लिये क्षेत्रों का चयन करना, तथा परस्पर प्राथमिकता का निर्धारण करना,
2. सर्वेक्षण के लिये चयन किये हुए क्षेत्रों में क्षेत्रीय फील्ड पार्टियों द्वारा किए हुए फील्ड कार्यों तथा रिपोर्टों की तैयारी की प्रगति की संवीक्षा करना, तथा
3. इस सम्बन्ध में अनुगामी कार्यवाही के विषय में संवीक्षा करना।

4. **बैठकों की अवधि**—प्रत्येक राज्य की क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम एक बार हुआ करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के समस्त सदस्यों, भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों/विभागों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, महा लेखाकार तथा लेखा परीक्षक, समस्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि सचिवों, कृषि विभाग के समस्त अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, संसद् पुस्तकालय तथा समस्त सरकारों व संघ राज्य प्रशासनों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० सेठ, वन महा निरीक्षक
तथा **पदेन** अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1975

संकल्प

सं० 2-42/74-हि०नी०—भारत सरकार, श्री मोहनलाल भट्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा का, इस मंत्रालय के 12 फरवरी, 1975 के संकल्प संख्या 2-42/74-हि०नी० के अधीन पुनर्गठित कृषि मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति में, एक सदस्य नियुक्त करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आयोजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी और भारत सरकार के सभी मन्त्रालय तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

काजी मुख्तार अहमद, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 जुलाई 1975

संकल्प

सं० एफ० 1/46/69-एस० एस० डी० (डब्ल्यू०)—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-46/69-एस० एस० डी० (डब्ल्यू०) दिनांक 19 अप्रैल 1975, जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) अर्थात उसके अध्यक्ष सामान्य समिति के सदस्यों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 30 जून 1975 तक जिसमें वह तारीख भी शामिल है, बढ़ाया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार ने उक्त बोर्ड का कार्यकाल 1 जुलाई, 1975 से 30 सितम्बर, 1975 तक जिसमें वह तारीख भी शामिल है, कम्पनी के एशोसिएशन के अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत बढ़ा दिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मंत्रीमण्डल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री का सचिवालय ।
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टि० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1975

संकल्प

सं० हिन्दी /73/जी-28/2—भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि (1) रेल मंत्रालय के 25 जुलाई, 1974 के संकल्प संख्या हिन्दी/73/जी-28/2 के अधीन पुनर्गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में निम्नलिखित को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाये :

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

1. श्री मोहम्मद शफी कुरेशी,
   रेलवे राज्य मंत्री ।

सदस्य

2. डा० धर्मवीर भारती
   सम्पादक 'धर्मयुग'
   बम्बई ।
3. श्री भगवती चरण वर्मा
   हिन्दी उपन्यासकार,
   चित्रलेखा, महानगर.
   लखनऊ ।

4. डा० एम० मलिक मोहम्मद
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट (केरल) ।

5. श्री मनोहर श्याम जोशी
सम्पादक 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान'
कर्जन रोड, नयी दिल्ली ।

6. श्री डोरी लाल अग्रवाल,
सम्पादक 'अमर उजाला'
आगरा ।

7. श्री राजकुमार,
द्वारा बनारस प्रेस,
बुला नाला, वाराणसी ।

8. श्री अशोक जी,
सम्पादक 'स्वतन्त्र भारत'
लखनऊ ।

9. श्री जी० सुन्दरा रेड्डी,
अध्यक्ष हिन्दी में स्नातकोत्तर
अध्ययन और अनुसंधान विभाग,
आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, ।

सदस्य

10. श्री प्रभात शास्त्री,
'कवि कुटीर' दारागंज,
प्रयाग-6 ।

11. मुख्य कार्मिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें ।

2. रेल मंत्रालय के 25 जुलाई 1974 के संकल्प संख्या हिन्दी/73/जी-28/2, की क्रम संख्या 31 से 34 तक में उल्लिखित नामांकन रद्द समझे जायें ।

3. रेल मंत्रालय के 19 जून 1975 के संकल्प संख्या हिन्दी/73 जी-28/2 के उप पैरा 'क' के अंग्रेजी पाठ में श्री एम० भीष्म देव, सदस्य, लोक सभा के नाम में देव की वर्तनी में 'ओ' की बजाय 'वी' पढ़ा जाये ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

पुरुषोत्तम लाल, संयुक्त सचिव,
रेलवे बोर्ड

191 GI/75

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1975

संकल्प

विषय—गोवा, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन

सं० 25012(2)/72-ई० डब्ल्यू-2—भारत सरकार ने एक अध्ययन दल स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका नाम "गोवा, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन के लिये दल" भी होगा ।

अध्यक्ष

2. दल के सदस्यों के नाम इस प्रकार होंगे

1. श्री एम० एस० भाटिया
प्रमुख इंजीनियर,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री प्रेमनाथ संयुक्त सचिव,
(निर्माण और आवास)

3. श्री बी० वी० कुलकर्णी,
मुख्य इंजीनियर (एस० डब्ल्यू० जैड)
के० लो० नि० विभाग, बम्बई ।

4. श्री सी० जी० देसाई,
निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र),
राज्य क्षेत्र निदेशालय, जल विंग,
केन्द्रीय जल आयुक्त,
पश्चिम ब्लाक सं० 1, आर० के० पुरम्,
नई दिल्ली ।

5. श्री एम० एम० ओबराय, अवर सचिव,
स्टाफ निरीक्षण एकक,
वित्त मंत्रालय ।

3. दल के विचारणीय विषय ये होंगे :

(i) गोवा, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की समस्त स्थापना का अध्ययन करना तथा संघ राज्य क्षेत्र की बढ़ रही मांग की पूर्ति हेतु, मौजूदा ढांचे किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव देना ।

(ii) इस प्रश्न पर विचार करना कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिये निर्धारित कार्यभार का भाग दण्ड संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग पर लागू रहने दिया जाए ।

(iii) यदि नहीं, तो गोवा, दमन तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र में निर्माण कार्यों के विभिन्न वर्गों के लिए अपेक्षित एककों/पदों के सृजन के लिये कार्यभार का मापदण्ड क्या होना चाहिये ।

4. यह अध्ययन दल अपना कार्य पूर्ण करके 3 मास के अन्दर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

5. यह अध्ययन दल, अपने काम करने का ढंग तथा अन्य कार्य प्रणाली संबंधी मामले निर्धारित करने में स्वतन्त्र होगा।

6. सचिवालय सम्बन्धी सहायता, मुख्य इंजीनियर (एस० डब्ल्यू० जेड०), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, बम्बई द्वारा प्रदान की जायेगी।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जुलाई 1975

सं० बी-28011/2/72-सी० एल० टी०—इस मंत्रालय की इसी संख्या की अधिसूचना दिनांक 2 सितम्बर, 1974 में वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् श्री जे० जी० कुमारामंगलम, अध्यक्ष, कोयला खान प्राधिकरण लि०, 10 केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता **के लिए** (राष्ट्रीय श्रम संस्थान निर्मित करने वाले व्यक्तियों की सूची के क्रमांक 8 पर) निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जायेगा :—

श्री एन० बी० प्रसाद,
अध्यक्ष,
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग,
देहरादून (उत्तर प्रदेश)।

ए० देब, अवर सचिव

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय
(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1974

सं० पी० III-1(30)/74—यह आवश्यक है कि सरकारी खरीद करने वाले संगठनों को अनावश्यक देरी किये बिना और कार्य कुशलता तथा मितव्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए सरकार की आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिये। अब खरीद किये जाने वाले सामान की निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा, मूल्य, विविधता और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भारत और विदेश में सामान की खरीद के लिए अपनाई गई पद्धति की दृष्टि से वर्तमान संगठन पर्याप्त हैं? इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने, इस प्रकार के कार्यों के लिए वर्तमान संगठनों को सरल और कारगर बनाने, उनकी संरचना, कार्य और प्रक्रिया की पद्धति की दृष्टि से सरकार ने समिति गठित करने का निश्चय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. मंत्री—पूर्ति और पुनर्वास	अध्यक्ष
2. सचिव पूर्ति विभाग	सदस्य
3. श्री ए० एन० हक्सर 4. श्री एम० बी० कामथ 5 श्री एन० एम० वागले	गैर-सरकारी सदस्य
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य
7. संचार मंत्रालय (डाक तार बोर्ड)	,,
8. रेल मंत्रालय	,,
9. रक्षा मंत्रालय और	,,
10. औद्योगिक विकास मंत्रालय में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	,,
11. योजना आयोग (राज्य सरकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए)	
12. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और	सदस्य
13. महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि	सदस्य-सचिव

विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) सामान की अधिप्राप्ति में कार्यकुशलता और मितव्यता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाई गई खरीद की प्रणाली और कार्यविधि में एकरूपता लाना और सुधार के सुझाव देना।

(ख) बचत करने के लिये विलम्बता में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई खरीद के लिये वित्तीय भुगतान की प्रणाली और कार्यविधि की जांच करना और सुधार के लिये सुझाव देना।

(ग) कोई अन्य सम्बद्ध विषय जैसे विशिष्टयां, निरीक्षण, परीक्षण, निकासी, नौभरण आदि।

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के लिये संगठनात्मक व्यवस्था करना।

इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और यह अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के पूर्ति विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों; मंत्रिमंडल सचिवालय; प्रधानमंत्री का सचिवालय; राष्ट्रपति के सचिव; योजना आयोग; नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; लंदन और वाशिंगटन में भारत पूर्ति मिशनों; समिति के सदस्य सचिव, राज्य सरकारों; संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी सदस्यों को भेजी जाये।

एच० के० कोचर, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th August 1975

No. 88-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Chittaranjan Mukharji,
Inspector of Police,
Hooghly,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd July, 1974, Shri Chittaranjan Mukharji received information that some notorious extremists would be assembling near the Bandel Thermal Power Station in Police Station Mogra for carrying out some destructive activities. A police party, under the command of the Superintendent of Police, reached the place and took up position in an improvised trench. Shri Chittaranjan Mukherji was a member of the police party. At about 20.15 Hrs. six persons arrived at Phansitala Ghat by a country boat. When they reached the place of ambush, they were challenged. On this they opened fire at the police party and exploded a few bombs. The fire was returned by the police. Shri Mukharji alongwith Shri Kamal Kumar Chatterji in spite of the injuries they had received inflicted heavy casualties on the extremists. Some of the extremists were able to escape but one person was arrested in the chase and subsequently three dead bodies of the notorious extremists were recovered along with two pipe-guns and a large quantity of ammunition.

In this operation Shri Chittaranjan Mukharji exhibited conspicuous gallantry and prevented the extremists from carrying out their evil designs.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd July, 1974.

No. 89-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Kamal Kumar Chatterjee,
Assistant Sub-Inspector of Police, (*Officiating*)
Hooghly,
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 2nd July, 1974, Shri Chittaranjan Mukharji, Inspector of Police received information that some extremists would be assembling near the Bandel Thermal Power Station, Police Station Mogra for committing some destructive activities. A police party under the command of the Superintendent of Police reached the place and took up position in an improvised trench. Shri Kamal Kumar Chatterjee was a member of the police party. At about 20.15 Hrs. 6 persons arrived at Phansitala Ghat by a country boat. When they reached the place of ambush, they were challenged. On this they opened fire at the police party and exploded a few bombs. The fire was returned by the police. Both Shri Chatterjee alongwith Inspector Mukharji, in spite of receiving injuries inflicted heavy losses on the extremists. One person was arrested in the chase. On subsequent search, 3 dead bodies of notorious extremists, two pipe-guns and a large quantity of ammunition were recovered from the area of the encounter.

In the encounter with the extremists, Shri Kamal Kumar Chatterjee displayed exemplary courage and great devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd July, 1974.

No. 90-Pres./75.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to undermentioned officer of the Bihar Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ramyash Singh,
Sub-Inspector of Police,
Fatwah,
District Patna,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 15th June, 1972, information was received about the assemblage of a gang of criminals in village Chhoti Hasanpur with a view to committing dacoity in the village. A police party was sent to intercept the dacoits. When the dacoits became aware of the presence of the police, they started indiscriminate firing at the police party. This, however, did not deter the police party who continued their advance in disregard their personal safety. Sub-Inspector Ramyash Singh in spite of over seventy pellets embedded in his body held his ground and spear headed the operations. In the encounter one dacoit received bullet injuries and 6 others were arrested. A DBBL gun and a country made gun were recovered from their possession.

In facing the notorious dacoits, Shri Ramyash Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th June, 1972.

No. 91-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to undermentioned officer of the West Bengal Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Moni Mohan Chakrabartti,
Sub-Inspector of Police, (*Officiating*)
Hooghly, West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the evening of September 12, 1973, Shri Moni Mohan Chakrabartti, Sub-Inspector of Police, received information of a daring dacoity having been committed at a shop about 500 yards away from Police Station. He immediately rushed to the spot in a jeep after taking a loaded rifle from the Sentry whom he asked to convey the information of dacoity to the officer-in-charge of the Police Station.

After committing the dacoity and shooting dead the Shopkeeper Gobinda Gopal Sadhukhan, the dacoits were trying to escape in a car. The car had, however, been hit by a waiting truck from the front side. When the dacoits got out of the car in order to see whether the car had been immobilised, they were surprised by the Sub-Inspector from the rear. They left the car and attempted to escape. Shri Chakrabarti gave them a hot chase at great personal risk. In the exchange of fire, the Sub-Inspector engaged the whole gang of about half a dozen armed men, all by himself. The dacoits then tried to retreat through waterlogged paddy fields under cover of fire. Sensing their plan, the Sub-Inspector imaginatively retreated and went to the nearby railway line by a different route anticipating that the dacoits would pass through that point for their escape. As expected the dacoits soon appeared there and the exchange of fire was resumed. At this stage the Sub-Inspector was joined by some of his colleagues and the dacoits were prevented from escaping during the night. In the morning when a search was carried out five dacoits who were hiding in the field were arrested. A sten-gun and a service revolver were recovered along with a box containing gold ornaments of the value of about Rs. 28,000/-.

In this encounter Shri Moni Mohan Chakrabartti exhibited conspicuous gallantry, initiative, tact and a high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th September, 1973.

No. 92-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Satbir Singh,
Constable No. 69034425,
34th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Satbir Singh was a member of a Company of the Central Reserve Police Force deployed in Mokokchung district of Nagaland for counter-insurgency operations in March, 1974. When a small group of Central Reserve Police Force personnel was moving towards a water point located very close to its Camp on 14th March, 1974, it was subjected to a hail of bullets from a vantage position. Taken aback by the firing, the police personnel rushed for taking cover of the perimeter wall of the camp. One of the Constables when he was about 6 to 7 yards from the perimeter wall was however hit by a bullet which pierced through his stomach and he fell down. When Shri Satbir Singh, who had by then taken cover behind the perimeter wall and was firing at the hostiles, saw his colleague collapsing, he jumped out of cover and in complete disregard of the firing by the hostiles ran to the help of the injured Constable and brought him close to the wall and then lifted him across into the waiting hands of his colleagues who were inside the perimeter wall. The injured Constable would be saved due to gallant act of Shri Satbir Singh.

In this encounter Shri Satbir Singh exhibited conspicuous gallantry, indomitable courage and displayed outstanding sense of devotion to duty in keeping with the highest traditions of the force.

2. This award is made for gallantry under rule 4(*i*) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissble under rule 5, with effect from the 14th March, 1974.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 28th July 1975

RESOLUTION

No. 1/20014/7/75-OL(A-2).—The Government of India have decided to extend term of the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Home Affairs reconstituted under the Government of India, Ministry of Home Affairs Resolution No. 8/6/71-H.2, dated 9th August, 1972, as amended from time to time, for a period of six months w.e.f. 9th August, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. D. SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

KANDLA FREE TRADE ZONE AUTHORITY

New Delhi, the 7th July 1975

RESOLUTION

No. 3/2/73-FTZ.—It has been decided to make the following changes in the composition in the Government of India, Ministry of Commerce Resolution of even number, dated the 24th May, 1973, subsequently modified *vide* Resolution of even number, dated the 30th October, 1974 published in the Gazette of India Part I Section 1 :—

Member

1. Joint Secretary/Director incharge of Kandla Free Trade Zone Cell, Ministry of Commerce, New Delhi.

Member-Secretary

2. Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch).

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

G. SUNDARAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 22nd July 1975

RESOLUTION

No. IS-23011/(8)/75-FSP.—The Government of India have decided that the Committee on Distribution System of Petroleum Products, as constituted under Ministry of Petroleum & Chemicals Resolution No. IS-23011/8/75-FSP, dated the 22nd April, 1975, who were to submit their report before the 30th June, 1975, will now submit their report before the 31st December, 1975.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be sent to all concerned.

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 25th July 1975

ORDER

SUBJECT :—Petroleum Exploration Licence for Bassein, Tarapore, South and North Tapti—Relinquishment of.

RESOLUTION

No. IS-12012/7-73-Lab & Legislation.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government is pleased to accept the determination by the Oil and Natural Gas Commission of the Petroleum Exploration Licence for Bassein, Tarapore, South and North Tapti, Offshore area measuring 5,708 Square Kilometres with effect from the date of expiry of the first year of the Licence.

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 21st June 1975

No. SSI(I)-17(6)/74.—In the late Ministry of Industrial Development Resolution No. SSI(I)-17(6)/74 dated the 18th July, as amended by notifica-

tion of even number dated 29th October, 1974, the following amendment may be made in the list of Members of the Board :—

For

S. No. 61

Shri K. P. Parameshwaran,
Director, DC (SSI)
New Delhi.

Read

S. No. 61

Shri C. V. Kuppuswamy
Director DC (SSI)
New Delhi.

P. K. S. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 8th July 1975

RESOLUTION

No. 3-7/75-F.II.—The Pre-investment Survey of Forest Resources Organisation under the Ministry of Agriculture & Irrigation was started during 1965 as a UNDP—India Project. After termination of UNDP assistance in 1968, this organisation has been continuing as a Government of India Project in various five year Plans. For over all planning, direction and coordination of the work of the organisation a Central Coordination Committee was constituted under the Chairmanship of Secretary, Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture & Irrigation in 1970. It included a representative of the Department of Agriculture, Associated Finance, Planning Commission, Ministry of Industrial Development and Civil Supplies, Ministry of Finance, Chief Conservators of Forests, Development Council of Pulp, Paper and Allied Industries, Development Council of Wood Panel Industries Development Council of Saw Mill Industry.

At the meeting of this Coordination Committee held on 8th January, 1975 the question of continuance or otherwise of this Committee was considered. There was a general consensus that the continuance of Central Coordination Committee was no longer necessary in the context of expansion programme of the Pre-investment Survey under the 5th Five Year Plan, under which its activities will extend to the entire country. Instead, it was recommended that four Zonal Coordination Committees with a smaller composition should be constituted. The Government of India have accepted this recommendation and it has been decided that four Zonal Coordination Committees on Pre-investment Survey of Forest Resources should be constituted.

2. The composition of each Zonal Committee will be as follows :—

Chairman

(common to all Zonal Committees).

Inspector General of Forests & *Ex-Officio* Additional Secretary.

Members

Zonal Coordination Committee—Central Zone :—

1. Chief Conservator of Forests, Maharashtra.
2. Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh.
3. Chief Conservator of Forests, Orissa.
4. Chief Conservator of Forests, Gujarat.
5. A representative of the State Industries Department of each State in the Zone.
6. Chief Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources.
7. Under Secretary (Forests), Ministry of Agriculture & Irrigation.—*Member-Secretary.*

Zonal Coordination Committee—Northern Zone.

1. Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh.
2. Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh.
3. Chief Conservator of Forests, Jammu & Kashmir.
4. Chief Conservator of Forests, Rajasthan.
5. A representative of the State Industries Department of each State in the Zone.
6. Chief Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources.
7. Under Secretary (Forest), Ministry of Agriculture & Irrigation.—*Member-Secretary.*

Zonal Coordination Committee—Eastern Zone.

1. Chief Conservator of Forests, Bihar.
2. Chief Conservator of Forests, West Bengal.
3. Chief Conservator of Forests, Meghalaya.
4. Chief Conservator of Forests, Assam.
5. Chief Conservator of Forests, Tripura.
6. Chief Conservator of Forests, Arunachal Pradesh.
7. Chief Conservator of Forests, Manipur.
8. Chief Conservator of Forests, Andaman & Nicobar Islands.
9. Chief Conservator of Forests, Mizoram.
10. A representative of the State Industries Department of each State in the Zone.
11. Chief Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources.
12. Under Secretary (Forests), Ministry of Agriculture & Irrigation—*Member-Secretary.*

Zonal Coordination Committee—Southern Zone

1. Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh.
2. Chief Conservator of Forests, Karnataka.
3. Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu.
4. Chief Conservator of Forests, Kerala.
5. A representative of the State Industries Department of each State in the Zone.
6. Chief Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources.
7. Under Secretary (Forests), Ministry of Agriculture & Irrigation—*Member-Secretary.*

3. *Functions of the Zonal Coordination Committees.*

The following will be the functions of each Zonal Coordination Committee :—

1. Selection of areas for survey in each of the States included in the respective Zones and allocation of *inter-se-priority.*
2. Review of the field work done by Zonal Field Parties in the areas selected for survey & progress of the preparation of the Reports; and
3. Review of the follow-up action thereon.

4. *Periodicity of meeting* : The meeting of Zonal Coordination Committee in respect of each Zone will ordinarily be held at least once a year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Agriculture/Forest Secretaries of all State Governments and Union Territory Administrations, all Attached and Subordinate Offices of the Department of Agriculture, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Parliament Library (5 copies) and all State Governments and U.T. Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SETH,
Inspector General of Forests
& *Ex-Officio* Addl. Secy.

New Delhi, the 24th July 1975

RESOLUTION

No. 2-42/74-HN.—The Government of India have been pleased to appoint Shri Mohan Lal Bhatt, Rastrabhasha Parachar Samiti, Vardha, as a member of the Krishi Mantralaya, Hindi Salahkar Samiti reconstituted under this Ministry's Resolution No. 2-42/74-HN, dated 12th Feb. 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretrriat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General, Chief Pay and Accounts Officer and all Ministries and Departments to the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Q. M. AHMED, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-1, the 28th July 1975

RESOLUTION

No. F.1-46/69-SSD(W).—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-46/69-SSD(W) dated the 19th April, 1975 extending the term of the office of the Central Social Welfare Board, namely, the Chairman, Members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company) till and including 30th June, 1975, the Government of India have been further pleased to decide that subject to Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the said Board be extended for a further period of three months commencing from 1st July, 1975 till and including 30th September, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All the Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/U. Ts.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat / P. M.'s Secretariat.
8. Press Information Bureau, New Delhi.
9. Accountant General Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur. Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st July 1975

RESOLUTION

No. Hindi/73/G-28/2.—The Government of India have decided that (1) undermentioned persons may be included as members of the Railway Hindi Salahkar Samiti reconstituted under this Ministry's Resolution No. Hindi/73/G-28/2 dated 25th July, 1974 :

Senior Vice-Chairman

1. Shri Mohd. Shafi Qureshi,
Minister of State (Railways)

Members

2. Dr. Dharmvir Bharati,
Editor 'Dharmyug'
Bombay.
3. Shri Bhagwati Charan Verma,
Hindi Novelist,
Chitralekha, Mahanagar,
Lucknow.
4. Dr. M. Malik Mohammed,
Head of Hindi Department,
University of Calicut,
Calicut (Kerala).
5. Shri Manohar Shyam Joshi,
Editor 'Saptahik Hindustan'
Curzon Road,
New Delhi.
6. Shri Dori Lal Agrawal,
Editor 'Amar Ujala'
Agra.

7. Shri Raj Kumar,
C/o Banaras Press,
Bula Nalla,
Varanasi.

8. Shri Ashok Ji,
Editor 'Swatantra Bharat'
Vidhan Sabha Marg,
Lucknow.

9. Shri G. Sundara Reddi,
Head of Department
Post Graduate Studies and Research in Hindi,
Andhra University,
Vishakhapatlanam.

10. Shri Prabhat Shastri,
Kavi Kuteer, Daraganj,
Prayag-6.

11. Chief Personnel Officers
of all Zonal Railways.

2. The nominations at S. No. 31 to 34 of Ministry of Railways' resolution No. Hindi/73/G-28/2 dated the 25th July 1974 should be treated as cancelled.

3. The spelling of the word 'Deo' in the name of Shri M. Bheeshma Deo, Member, Lok Sabha appearing in Sub Para (a) of Ministry of Railways' Resolution No. Hindi/73/G-28/2 dated the 19th June 1975 *should be read* as 'Dev'.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. LAL, Jt. Secy.
Railway Board.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(WORKS DIVISION)

New Delhi, the 21st July 1975

RESOLUTION

SUBJECT : *Reorganisation of the Public Works Department in the Union Territory of Goa, Daman and Diu, constitution of a study team.*

No. 25012(2)/72-EW2.—The Government of India have decided to set up a study team to be known as "study team for reorganisation of the Public Works Department in the Union Territory of Goa, Daman and Diu".

2. The composition of team shall be as follows :—

Chairman

1. Shri M. S. Bhatia,
Engineer-in-Chief,
C.P.W.D., New Delhi.

Members

2. Shri Prem Nath,
Joint Secretary (W & H)
Ministry of Finance or his representative.

3. Shri B. V. Kulkarni,
Chief Engineer (SWZ)
C.P.W.D. Bombay.

4. Shri C. G. Desai, Director (UT)
UT Directorate, Water Wing,
Central Water Commissioner,
West Block No. 1, R. K. Puram,
New Delhi.

5. Shri M. M. Oberoi, Under Secretary,
Staff Inspection Unit,
Ministry of Finance.

3. The terms of reference of the team shall be :—

(i) To study the entire set-up of the Pubic Works Department in the Union Territory of Goa, Daman and Diu and to suggest any changes in the existing pattern to meet the growing demand of the Union Territory.

(ii) To examine the question whether the workload yardsticks prescribed for the C.P.W.D. may continue to be made applicable to the Public Works Department of the Union Territory.

(iii) If not, what should be the workload yardsticks for creation of Units/posts required for various types of works in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

4. The study team will complete its work and submit its report to the Government within a period of 3 months.

5. The study team will be free to lay down the method of its working and other procedural matters.

6. The Secretarial assistance will be provided by the Chief Engineer (SWZ), CPWD, Bombay.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India.

N. K. PRASAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110001, the 24th July 1975

No. V-28011/2/72-CLT.—In this Ministry's Notification of even number dated the 2nd September, 1974 *for* the existing entry namely Shri J. G. Kumaramangalam, Chairman, Coal Mines Authority Ltd., 10 Camao Street, Calcutta (at Sl. No. 8 of the list of persons comprising the National Labour Institute) the following shall be *substituted* :

Shri N. B. Prasad,
Chairman,
Oil & Natural Gas Commission,
Dehradun (U.P.)

A. DEB, Under Secy.

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 24th December, 1974

RESOLUTION

No. PIII-1(30)/74.—It is essential that organisations for Government purchases should be able to secure the requirements of Government without undue delay and with due regard to efficiency and economy. In view of the evergrowing volume, value, variety and complexity

of stores which have to be purchased now, it has become increasingly important to consider whether the existing organisations for and the methods adopted in purchasing stores in India and abroad are adequate. With a view to examine the question in depth and make specific recommendations for streamlining the existing organisations for such functions, their structure, method of work and procedures the Government has decided to set up a Committee consisting of the following :—

Chairman

1. Minister of Supply & Rehabilitation.

Member

2. Secretary, Deptt. of Supply.

Non-official Members

3. Shri A. N. Haksar
4. Shri M. V. Kamath
5. Shri N. M. Wagle

Members

A representative each of the Ministries of—

6. Finance (Deptt. of Expenditure)
7. Communications (P&T Board)
8. Railways
9. Defence; and
10. Industrial Development.

A representative each of—

11. Planning Commission (to represent the interests of State Governments)
12. Comptroller & Auditor General; and

Member Secretary

13. Director General (Supplies & Disposals).

The following will be the terms of reference :

(a) To identify and suggest improvements in the system and procedures of purchases (both indigenous and imports) adopted by different Ministries/Departments of the Central Government with a view to achieve the aim of efficiency and economy in procurement.

(b) To examine and suggest improvements in the system and procedures of financial payments for the purchases by and on behalf of Central Government with a view to cut down delays to effect savings.

(c) Any other related matters such as specifications, inspection, testing, clearance, shipment, etc.

(d) Organisational set-up for (a), (b) and (c) above.

The Committee will have its headquarters in New Delhi and will submit its report to the Government of India in the Department of Supply as early as possible.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Secretariat; Secretary to the President; the Planning Commission; the Comptroller and Auditor General; the India Supply Missions in London and Washington; Member-Secretary of the Committee; State Governments; Administration of Union Territories and all others concerned.

H. K. KOCHAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975